<u>न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, जालौन स्थान उरई।</u>

सत्र परीक्षण संख्या– 166/2018

राज्य बनाम रामस्वरूप आदि

मु0अ0सं0– 13/2018

धाराः 147,148,149,302,307, भादसं

थाना–कालपी, जिला जालौन।

<u>10.09.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह उपस्थित तथा अभियुक्त रामस्वरूप की आज की हाजिरी जरिये अधिवक्ता माफ की गयी। अभियुक्तत कृपाराम अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में अभियुक्त कृपाराम काफी समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहा है। इस संबंध में संबंधित थाना कोतवाली कालपी, जिला जालौन से अभियुक्त कृपाराम के संबंध में उसके गैर जमानती वारंट पर इस आशय की आख्या प्रपत्र 29क प्राप्त हुई है कि अभियुक्त कृपाराम की मृत्यु 17.11.2020 को हो गयी है। समर्थन में अभियुक्त की मृत्यु के संबंध में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत धमना विकास खण्ड कदौरा, जनपद जालौन द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण प्रपत्र संख्या 29क/2 संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में तामील कुनिन्दा उपनिरीक्षक उपेन्द्र कुमार शुक्ला, थाना कोतवाली कालपी, जिला जालौन का सशपथ बयान भी बतौर सी0डब्लू01 अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की है। चूंकि उक्त मामले में अभियुक्त कृपाराम की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्त **कृपाराम** के विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही उपशमित करते हुए समाप्त की जाती है।

शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1,
जालौन स्थान उरई।